न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-80/2018/टोंक

गोपाल पुत्र जगदीश, जाति मीणा, निवासी ग्राम समदपुरा, तहसील पीपलु जिला टोंक।

--अपीलांट

बनाम

1. सरजीवन मीणा पुत्र स्व0 घासी मीणा, निवासी समदपुरा, तहसील पीपलु, जिला टोंक।
2. ग्राम पंचायत बोरखण्डीकलां, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोरखण्डीकलां, तहसील पीपलु, जिला टोंक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , पीपलु, जिला टोंक

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.09.2018 विद्वान तहसीलदार (भू–अभिलेख) , पीपलु प्रकरण संख्या 12/2018 बउनवानी सरजीवन बनाम ग्राम पंचायत में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:—श्री हेमराज गुप्ता(वकील अपी0)
रेस्पोडेंट–1 अभि0:—श्री गजेन्द्र सिंह
राजकीय अभि0:—श्री आकाश पारीक

<u>निर्णय</u> दिनांकः—31.01.2023

संक्षिप्त में तथ्स इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 सरजीवन मीणा ग्राम पंचायत बोरखण्डी के समक्ष घासी पुत्र जगन्नाथ मीणा की विरासत का नामातंरण तस्दीक किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर नामातंरण संख्या 603 भरा गया। मगर बाद जांच उसे घासी मीणा का वारिस नहीं मानते हुए नामातंरण निरस्त कर दिया। ग्राम पंचायत के उक्त निर्णय की सरजीवन द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीपलूं के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील को उपखण्ड अधिकारी पीपलूं द्वारा दिनांक 15.05.2018 को स्वीकार किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार पीपलू को रिमाण्ड किया तथा निर्देश दिये कि स्वर्गीय घासी मीणा के वास्तविक वारिसानों की जांच कर नामातंरण पुनः नये सिरे से भरा जायें। तहसीलदार द्वारा इसे प्रकरण संख्या 12/2018 के रूप में दर्ज किया जाये तथा अपने निर्णय दिनांक 10.09.2018 से रेस्पोडेंट सरजीवन को मृतक घासी का विधिक वारिस मानते हुए घासी की भूमियों हेतु नामातंरण दर्ज करने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की जा रही है–

1. मूल नामातंरण संख्या 603 को तलब किये बिना तहसीलदार द्वार विवादित निर्णय दिया है।

2. पटवारी हल्का से वारिसान की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

3. प्रकरण से संबंधित को नोटिस जारी करना अथवा [illegible] नोटिस पर रिपोर्ट बाबत प्रोसिडिंग में कही कोई अंकन नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 1[illegible]:21:08 IST
Reason: SelfAttested

4. पेशी दिनांक 30.08.2018 से दिनांक 14.09.2018 तय की गई थी। मगर अभिभाषक की पीठ पीछे पेशी को बदलकर दिनांक 07.09.2018 तय की गई तथा दिनांक 07.09.2018 को अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए निर्णय हेतु पत्रावली दिनांक 10.09.2018 तय कर उसी दिन एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया।

5. गवाहों से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया।

6. दिनांक 07.09.2018 को बदाम व सरजीवन के बयान कलमबद्ध किये गये। बिना बहस सुने सीधा निर्णय पारित किया गया। विपरित तथ्यों बाबत कोई जांच आदि न कर निर्णय दिया गया।

7. पक्षकार को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अधिकार की घोषणा करवाया जाना आवश्यक है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामातंरण की कार्यवाही में सरजीवन को घासी का वारिस घोषित कर क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अपील स्वीकार की जायें। तहसीलदार पीपलूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 निरस्त किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अभिभाषक श्यामसुन्दर विजय द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में दर्शाये बिन्दुओं को ही अपनी बहस के बिन्दु बताया है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया था मगर प्रस्तुत नहीं की गई। वक्त बहस वकील अपीलांट उपस्थित रहे तथा वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहे।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बिन्दु बाबत अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 का है। न्यायालय हाजा में दिनांक 20.09.2018 को उक्त अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2018 की वजह से रेस्पोडेंट विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। इससे प्रार्थी को अपार क्षति हो सकती है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अपीलाधीन निर्णय की पालना एवं प्रभाव को अपील निर्णय तक स्थगित रखा जायें। राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

उपरोक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.2018 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया था।

शपथ पत्र अभिभाषक श्यामसुन्दर विजय के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में वे गोपाल पुत्र जगदीश की तरफ से अभिभाषक तय थे तथा उनके अनुसार दिनांक 30.08.2018 को आगामी पेशी उनके समक्ष दिनांक 14.09.2018 तय की गई थी। बाद में पेशी दिनांक 07.09.2018 तथा उसके बाद 10.09.2018 तय की गई। दिनांक 12.09.2018 को जब अन्य प्रकरण मे पैरवी करने एवं तहसीलदार पीपलू के न्यायालय में पहुंचे तब उन्हे जानकारी हुई कि तारीक पेशी बदली जाकर प्रकरण का निपटारा ही दिनांक 10.09.2018 को कर दिया गया। प्रकरण की पत्रावली के फाइल कवर पर पेशी दिनांक 14[illegible] की गई है। जिसे काटकर दिनांक 10.09.2018 किया गया है। उक्त कृत्य रेस्पोडेंट की [illegible] पहचान की वजह से किया गया है तथा उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना अवैधानिक आदेश दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:08 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण संख्या 12/2018 की आदेशिका दिनांक 05.07.2018 से दिनांक

10.09.2018 का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा उठाये गये आक्षेप के संदर्भ में प्रोसिडिंग का अवलोकन किया गया। न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 05.07.2018 में मूल नामातंरण को तलब करने का आदेश दिया गया। मगर आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल नामातंरण प्राप्त किये बिना ही निर्णय पारित किया गया। दिनांक 18.08.2018 को प्रोसिडिंग में यह लिखा हुआ है कि पटवारी हल्का से वारिसान की जांच रिपोर्ट प्राप्त करे, यह अंकित है। मगर बिना पटवारी रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। दिनांक 18.08.2018 की आदेशिका में संबंधित को नोटिस जारी करने को लिखा गया। जिसमें गोपाल मीणा निवासी समदपुरा तथा सरजीवन मीणा निवासी समदपुरा को नोटिस जारी करना पाया जाता है। अतः अपीलांट की यह बात सत्य नही है कि उन्हें नोटिस जारी नही किये गये। अपीलांट के इस आक्षेप को देखा गया कि दिनांक 30.08.2018 के बाद पत्रावली को दिनांक 14.09.2018 नियत किया गया था। मगर प्रोसिडिंग के अवलोकन से यह सिद्ध नहीं होता है कि दिनांक 30.08.2018 की प्रोसिडिंग में अग्रिम तिथि 07.09.2018 ही तय की गई है। अपीलांट की यह बात सही नही है। मगर अपीलांट की यह बात सही है कि दिनांक 07.09.2018 को बादाम व सरजीवन के बयान कलमबद्ध किये मगर बहस नही सुनी गई तथा दिनांक 10.09.2018 को भी बिना बहस सुने निर्णय पारित करने की बात सही पायी जाती है। पत्रावली के फाइल कवर पर दिनांक 07.09.2018 के बाद ऑवर राइटिंग कर दिनांक 10.09.2018 पाया जाता है। मगर यह किसके द्वारा किया गया। क्यो किया गया, यह विषय स्पष्ट नहीं है। इस बिन्दु पर अपीलांट सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकते है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा बादाम और सरजीवन के बयान दर्ज किये गये है। उक्त बयान दिनांक 07.09.2018 को दर्ज किये गये। सरजीवन ने अपनी उम्र 25 वर्ष तथा बादाम द्वारा अपनी उम्र 45 वर्ष दर्ज करवायी गई। सरजीवन के बयान के अनुसार मैनें अपने पिता घासी मीणा का पुत्र होने बाबत अपनी मां बादाम देवी व मेरे परिवार के लोगो भंवरलाल, लक्ष्मीनारायण और सत्यनारायण के बयान करवाये। जो उक्त भूमि के सहखातेदार भी है और परिवारजन भी है। मेरे एक भाई और एक बहिन भी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है और मेरी मां बादाम देवी ग्राम किशनगढ़ के रहने वाले हनुमान मीणा के साथ नाता विवाह कर लिया था। पहले मैं अपनी मां के साथ ही रहता था। पिछले 4–5 सालों से ग्राम समदपुरा में घासी मीणा मेरे पिता के मकान में ही रहता हूं। मेरे पक्ष में नामातंरण स्वीकार किया जायें। बादाम पत्नि हनुमान मीणा द्वारा अपने बयान में बताया गया कि मेरा विवाह घासी मीणा पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी समदपुरा तहसील पीपलूं के साथ हुआ था। घासी से मेरे दो पुत्र व एक पुत्री हुई थी। पुत्र का नाम ओमप्रकाश व सरजीवन था लड़की का नाम सूरमा था। ओमप्रकाश व सूरमा की मृत्यु हो चुकी है। मै और मेरा पिता ग्राम समदपुरा छोड़कर जयपुर खाने कमाने वर्षो पहले चले गये थे। मैंने हनुमान पुत्र गंगाराम मीणा निवासी किशनगढ़ से नाता विवाह कर लिया है। घासी मीणा का देहांत लगभग 8 वर्ष पूर्व हो चुका है। सरजीवन मीणा उसका एकमात्र जाइन्दा वारिस है। सरजीवन मीणा पूर्व में मैं और मेरे पति हनुमान के साथ ही रहता है। इस कारण उसके दस्तावेज में उसके पिता का नाम हनुमान अंकित है। जिसे बाद में दुरूस्त करवा लिया गया। सन् 1996 से बतौर पत्नि हनुमान के साथ रह रही हूं। उस समय ओमप्रकाश 4 वर्ष , सरजीवन 1.5–2 वर्ष का था। मेरी लडकी सूरमा की मृत्यु हो चुकी थी। मेरा पुत्र सरजीवन इस समय ग्राम समदपुरा में ही रहता है और वह घासी की संम्पति को प्राप्त करने का अधिकारी है। गवाह लक्ष्मीनारायण पुत्र बिरधा जाति मीणा उम्र 70वर्ष निवासी समदपुरा तथा गवाह भंवरलाल पुत्र रामजीवन मीणा उम्र 60 वर्ष [illegible] समदपुरा गवाह सत्यनारायण पुत्र बिरदा उम्र 62 वर्ष निवासी समदपुरा तथा गवाह हनुमान पुत्र गंगाराम मीणा उम्र 46 वर्ष निवासी किशनगढ़ द्वारा बयान शपथपत्र पर अंकित [illegible] की की बातों का समर्थन किया है। मगर इस बयानों का कहीं कोई क्रास एक्जामिनेशन नही करवाया गया है। जिससे बातों की पुष्टि हो सके। अधीनस्थ पत्रावली पर एस0डी0एम किशनगढ़ के प्रार्थना पत्र संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:08 IST
Reason: SelfAttested

286 दिनांक 28.03.2018 निर्वाचक नामावली किशनगढ़(98)(विधानसभा क्षेत्र) के भाग संख्या 115 के उपभाग भैरवनगर वार्ड 31 किशनगढ़ के क्रम संख्या 26 मकान संख्या 498 पर हनुमान प्रसाद पिता गंगाराम पुरूष उम्र 46 तथा एपीक नम्बर के कॉलम में एमडब्लयूजे/1398486 अंकित है। इसी प्रकार क्रम संख्या 27 पर मकान संख्या 498 पर ही बिदाम पत्नि हनुमान प्रसाद स्त्री उम्र 44 तथा एपीक नम्बर एमडब्लयूजे/139478 अंकित है। क्रम संख्या 29 पर मकान संख्या 498 पर ही सरजीवन पिता हनुमान पुरूष उम्र 24 वर्ष तथा एपीक नम्बर यूसीडब्ल्यू/1419074 अंकित है तथा सिरियल नम्बर 30 पर मकान संख्या 498 पर ही उषा पति सरजीवन स्त्री उम्र 24 वर्ष तथा एपीक नम्बर यूसीडब्लयू/1419084 अंकित है। हनुमान पुत्र गंगाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना पता भैरवनगर तहसील किशनगढ़ ही बताया है। बदाम के बयान से यह स्पष्ट है कि सरजीवन के पिता का नाम हनुमान अंकित है। जिसे बाद मे दुरूस्त करवा लिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र ओमप्रकाश मीणा के अनुसार उसकी मां बादाम देवी है और पिता का नाम घासी मीणा अंकित है। मृत्यु का स्थान किशनगढ़ बताया है। मृत्यु दिनांक 02.02.2005 बतायी गई है। मगर रजिस्ट्रेशन दिनांक 05.12.2017 को कराया गया है। घासी मीणा की मृत्यु दिनांक 02.10.2010 बतायी गई है तथा मृत्यु का स्थान सजिया तहसील निवाई बताया गया है। मगर इसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 03.08.2017 को करवाया गया है। अधीनस्थ पत्रावली पर बिजली बिल प्रस्तुत किया गया है। मगर बिजली बिल से विवादित भूमि पर किस प्रकार उसका हक है यह स्पष्ट नहीं होता है। फोटो पहचान पत्र क्रम संख्या 520 एबीएफ/0862797 के अनुसार सरजीवन के पिता का नाम घासीलाल मकान संख्या 36 आयु 25 अंकित की हुई है। मगर उक्त फोटो पहचानपत्र किस गांव से संबंधित है यह स्पष्ट नहीं होता है। पत्रावली के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि घासी की मृत्यु हो चुकी है। मगर घासी के वारिस कौन है इस बाबत जो सजरा या मौका पर्चा पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये जाने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण सें संबंधित प्रोसिडिंग दिनांक 18.08.2018 में तहसीलदार द्वारा ही दिये गये थे, उसकी अनुपालना प्राप्त किये बिना ही तहसीलदार द्वारा जल्दबाजी में एकपक्षीय निर्णय दिया गया है। मूल नामातंरण जो न्यायालय प्रोसिडिंग के अनुसार तहसीलदार द्वारा दिनांक 05.07.2018 को तलब किया गया था। उसके प्राप्त हुए बिना ही निर्णय करना पाया जाता है। सरजीवन द्वारा प्रस्तुत बयानों, बदाम द्वारा प्रस्तुत बयानों एवं सरजीवन के शपथ पत्रों पर कोई क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं होने से सही स्थिति नहीं आ पायी है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किशनगढ़ प्रार्थना पत्र संख्या 286 दिनांक 28.03.2018 के अनुसार सरजीवन के पिता का नाम हनुमान अंकित किया हुआ है तथा उसकी पत्नि उषा के साथ मकान नम्बर 498 में अपने ससुर हनुमान प्रसाद व सासु बदाम के साथ रहना पायी जाती है। स्वयं बदाम ने अपने बयानों में यह माना है कि सरजीवन के पिता का नाम उसके दस्तावेजों में हनुमान अंकित है। ऐसी स्थिति में सरजीवन को घासी का पुत्र माना जाना बिल्कुल कसौटी पर खरा नहीं होना जान पड़ता है तथा बदाम ने स्वयं बाद में दस्तावेजों में संशोधन की बात कही है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार पीपलूं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में यह निष्कर्ष निकाला कि सरजीवन घासी का पुत्र है। यह बहुत ही समझ से परे की बात है। बयानों के क्रॉस एक्जामिनेशन बाबत भी अवसर अपीलांट को दिया जाना नही पाया जाता है। अतः तहसीलदार द्वारा जल्दबाजी में अपना निर्णय दिया जाना दृष्टिगोचर होता है। मृतक का असली वारिस कौन है और उसके अन्य उत्तराधिकारी कौन है। यह गम्भीर विषय है। इसे बहुत जांच के बाद ही तय किया जा सकता है। नामातंरण की कार्यवाही से अधीनस्थ न्यायालय में इस विवादित विषय पर नि[illegible] किया जाना चाहिए था। इस हेतु सक्षम न्यायालय से घोषणा का वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता था। अपील स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:08 IST
Reason: SelfAttested

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार प्रकरण संख्या 12/2018 उनवानी सरजीवन बनाम ग्राम पंचायत बोरखण्डीकलां निर्णय दिनांक 10.09.2018 को निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:08 IST
Reason: SelfAttested